जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 21 संख्याः 180 प्रभात जालोर, मंगलवार 6 अक्टूबर, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी के लिए डीटेल्ड प्रोग्राम तय किया कांग्रेस ने

कांग्रेस ने पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों व प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए 10 अक्टूबर से 26 नवम्बर तक की कार्य योजना तैयार की है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। चीफ इलैक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए, विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक बड़ा मार्च निकालेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के लिए दबाव डालना है।

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की मार्च में मौजूदगी को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अब पुष्टि कर दी है कि वे अपने सांसदों के साथ मार्च में शामिल होंगे।

आम आदमी पार्टी को इस मार्च के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि विपक्षी दल उसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानते हैं।

द्रमुक को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है।

- 10 से 20 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर मार्च किया जाएगा, जो एसडीएम ऑफिस पर समाप्त होगा।
- 25 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक हरेक गाँव में ग्राम चौपाल आयोजित कर वोट चोरी की जानकारी दी जाएगी।
- पार्टी ने वोट रक्षक भी बनाए हैं, जो अनुचित तरीके से डिलीट मतदाताओं की पहचान कर उन्हें दोबारा लिस्ट में जुड़वाने में मदद करेंगे।
- एक नवम्बर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली आयोजित की जाएगी।
- 25 से 26 नवम्बर को कांग्रेस दिल्ली चलो वाहन रैली का आयोजन करेगी, जो संविधान दिवस (26 नवम्बर) को दिल्ली में समाप्त होगी।

द्रमुक कांग्रेस से अब भी नाराज है। उसका आरोप है कि कांग्रेस ने उसे छोड़कर एक्टर मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन द्रमुक ने पुष्टि की है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।

कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक की।

प्रधानमंत्री पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे लगातार सरकार के लिए राजनीतिक बोझ बनते जा रहे हैं। जब तक वे सीईसी के पद पर बने रहेंगे, तब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी दबाव बना रहेगा। विपक्ष इन दोनों को 'वोट चोरी' का मुख्य सूत्रधार बताता रहा है।

बैठक के बाद, कांग्रेस ने सीईसी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने और उन्हें घेरने के लिए अगले चरण के कार्यक्रमों की घोषणा की।

कांग्रेस ने कहा, हालिया खुलासों के बाद हमने इस मुद्दे पर पूरे भारत में राज्य और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगले चरण के अन्तर्गत, अगले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

त्योहारी सीज़न से पहले इंडिगो ने टिकट के पैसे बढ़ाये

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर। त्योहारी सीजन और आगामी छुट्टियों के सफर से ठीक पहले देश में हवाई यात्रा करना और महंगा हो गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने छह अक्टूबर से अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज (ईंधन शुल्क) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

- गत 6 माह में इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर तीसरी बार दाम बढ़ाये हैं।

एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में 1300 रु. तक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 10,000 रु. तक एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 6 अक्टूबर रात 12:01 बजे से लागू होंगी।

इंडिगो ने छह महीने में तीसरी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इससे पहले एयरलाइन ने इस साल 14 मार्च और फिर 1 अप्रैल को किराया बढ़ाया था।

एयरलाइन के मुताबिक, यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), यानी जेट फ्यूल महंगा होने से लिया गया है।

विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव को इस फैसले का मुख्य कारण बताया जा रहा है।

पंजाब के मु.मंत्री के ओएसडी की जाँच सीबीआई करेगी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राजबीर घुम्मन पर लगे भ्रष्टाचार के मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

यह मामला जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी और सरकारी कामकाज में कथित गड़बड़ी की ईडी की जांच से जुड़ा है।

जांच के दौरान, केन्द्रीय जांच एजेंसी ने निजी व्यक्ति नितिन गोहल से पूछताछ की। एजेंसी का आरोप है कि वह सरकारी मदद या फायदा लेने वाले लोगों और घुम्मन के बीच बिचौलिए का काम करता था।

वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस नेटवर्क के जरिए अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रभाव डाला जाता था। इसके अलावा, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच, हथियारों के लाइसेंस और सरकारी मंजूरियां दिलाने में भी मदद की जाती थी।

- ईडी ने किसी नितिन गोहल से पूछताछ के आधार पर ओएसडी घुम्मन के खिलाफ मामला तैयार किया था। ईडी का आरोप है कि नितिन असल में ओएसडी घुम्मन का दलाल है।
- हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संभावना है कि विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा जोर पकड़ेगा।

इस मामले के बाद पंजाब में एक बार फिर राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने भगवंत मान सरकार पर भ्रष्टाचार खत्म करने के अपने वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया है।

विपक्ष का यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में आप पार्टी के राजनीतिक अभियान में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा था। मान सरकार ने खुद को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में पेश किया था और बार-बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बार-बार कड़ी कार्रवाई का वादा किया था।

कांग्रेस, भाजपा और एसएडी के नेता अलग-अलग तरीके से सरकार को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा एक और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है।

हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू होने पर आप के महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा:

"केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट फॉर्म 6 के मामले में विचार करेगा, पर एक बात तय है कि कोर्ट द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) द्वारा जारी फॉर्म -6 से जुड़े मामले पर गौर करेगा, जिसकी जरुरत नए मतदाता के रूप में नाम रजिस्टर कराने के लिए होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि "बदले हुए" फॉर्म -6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/सीजेआई) सूर्यकांत ने यह बात एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस याचिका में यह जांच करने की मांग की गई थी कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही उन शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो संविधान के तहत पूरी मल्टी मैंबर चुनाव संस्था के लिये तय हैं, जिसमें दो चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं।

- सीजेआई ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई करते हुए की, जिसमें यह मांग की गई थी कि क्या चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अकेले ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, इसकी जाँच की जाए।
- ज्ञातव्य है कि फॉर्म 6 चुनाव आयोग द्वारा नए मतदाताओं को जारी किया जाता है और नए वोटर को रजिस्ट्रेशन के लिए इस फॉर्म की जरूरत होती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फॉर्म -6 के मामले में कोई फैसला नहीं किया है। कोर्ट इस मुद्दे पर विस्तार से तभी विचार करेगा, जब इससे जुड़े रिकॉर्ड उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कूनो में केजेपी -21 ने 5 शावकों को जन्म दिया

भोपाल, 05 अक्टूबर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में केन्द्र सरकार की "चीता परियोजना" में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। भारतीय धरती पर जन्मी 32 माह की मादा चीता केजेपी-21 ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही, भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़ कर 60 हो गई है, जिसमें 41 भारतीय धरती पर जन्मे चीते शामिल हैं।

- भारत में चीतों की संख्या 60 हुई, जिनमें से 41 भारत में जन्मे हैं।

यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। उन्होंने मादा चीता के शावकों का एक वीडियो और फोटो भी शेयर किया है, साथ ही इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और गर्व का पल बताया है।

राज्यसभा चुनाव: यूपी में हरदीप पुरी सहित 7 नेताओं के टिकर कटे

उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, तथा 16 अक्टूबर को मतदान होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। भाजपा ने सोमवार को सबको चौंकाते हुए, उत्तर प्रदेश से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में हरदीप सिंह पुरी और बी.एल. वर्मा को शामिल नहीं किया। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और अपने मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से किसी को भी दोबारा टिकट नहीं दिया है।

पार्टी ने 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है।

पुरी और वर्मा के अलावा, अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, नीरज शेखर, बृज लाल और गीता शाक्य का नाम भी सूची में नहीं है। दिनेश शर्मा, जो पहले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं।

- भाजपा ने इन दस सीटों पर आठ नए प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। इनमें तीन प्रत्याशी सवर्ण हैं, तीन ओबीसी व दो महिलाएं हैं।
- बहुचर्चित केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी और वरिष्ठ नेता नीरज शेखर सहित 6 अन्य वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया गया।
- जिन दो महिलाओं को टिकट दिया गया है, उनमें एक श्रुति गंगवार, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार की पुत्री हैं और दूसरी प्रियंका सिंह रावत ने 2014 में बाराबंकी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी एल पुनिया को हराया था।

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। उम्मीद है कि भाजपा 8 सीटें जीतेगी, जबकि बाकी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने की संभावना है।

इस सूची में 3 ओबीसी उम्मीदवार, 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और 3 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं।

ओबीसी उम्मीदवारों में लोधी, पाल और कुर्मी समुदायों का प्रतिनिधित्व है। वहीं, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत हैं।

दो महिला उम्मीदवारों में बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार शामिल हैं। रावत ने 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया को हराकर बाराबंकी लोकसभा सीट जीती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी उपचुनाव में मतदान आज

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर। देश के तीन राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों तथा एक लोकसभा सीट पर मंगलवार, 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट तथा असम की नगांव लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

- पांच विधानसभा व एक लोकसभा सीट पर मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

इन छह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक), तमिलगा वेत्रि कझगम (टीवीके), अखिल भारतीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चार न्यायाधीशों को जोधपुर हाईकोर्ट भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करें'

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल को पत्र लिखा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 5 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि उनके द्वारा जारी किए गए दो आदेश, जिनके तहत जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली, जस्टिस मनीष शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता को जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में भेजा गया है, उस आदेश पर पुनः विचार किया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से गुहार की गई है कि जयपुर स्थित हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सूची को देखा जाए तो ये जाहिर हो जायेगा कि यहां पर मामलों की सुनवाई और निस्तारण के लिए जजों की आवश्यकता ज्यादा है और इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार, जजों के ट्रांसफर के आदेश को निलंबित रख सकते हैं या अपने आदेश को पूरी तरह वापस ले सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पत्र में यह भी कहा गया है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश के विवेक और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है और अगर चीफ जस्टिस चाहें तो एसोसिएशन द्वारा गठित एक प्रतिनिधित्व मंडल उनके समक्ष इस मुद्दे पर "बार" द्वारा प्रस्तुत कुछ सुझाव भी पेश कर सकता है।

बार एसोसिएशन द्वारा 5 अक्टूबर को लिखी गई यह चिट्ठी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष राजीव सुगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है। इस चिट्ठी में लिखा है कि जजों का तबादला करना चीफ जस्टिस के प्रशासनिक शक्तियों के अधीन है और यह उनका अधिकार भी है। इस पत्र में यह भी उद्धृत है कि चीफ जस्टिस ने अपने अधिकार के तहत ही 3 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था कि जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली 5 अक्टूबर से आगामी आदेशों तक जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में कार्यरत रहेंगे। पत्र में यह भी जानकारी दी गई थी कि चीफ जस्टिस ने उसी दिन एक अन्य आदेश जारी किया था, जिसके तहत जस्टिस मनीष शर्मा और विपिन गुप्ता को 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जोधपुर कार्य करने के लिए भेजा गया है।

- एसोसिएशन ने कहा कि, जयपुर हाईकोर्ट में पूर्व में 22 जज बैठते थे, लेकिन इस आदेश के लागू होने के बाद सिर्फ 19 जज ही बचे हैं, जबकि यहां पर 3.90 लाख से ज्यादा केस लंबित चल रहे हैं।
- वहीं जोधपुर में पूर्व में 15 जज बैठते थे लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है (मुख्य न्यायाधीश दोनों अदालतों में महीने में दो हफ्ते बैठते हैं), जबकि यहां पर 2.90 लाख मामले ही लंबित चल रहे हैं।

बार एसोसिएशन द्वारा इन्ही आदेशों के संबंध में पत्र में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे चीफ जस्टिस जोधपुर और जयपुर स्थित हाईकोर्ट की अदालतों में लंबित चल रहे मामलों को देखते हुए जजो की संख्या अनुपातिक रखें।

पत्र में लिखा है कि चीफ जस्टिस के नए आदेशों को लागू करने से पहले जयपुर में 22 जज बैठते थे, वहीं जोधपुर में 15 जज। इन आदेशों को लागू करने के बाद अब जयपुर में 19 जज बैठेंगे और जोधपुर में 18 जज बैठेंगे। पत्र में कहा गया है कि अगर 30 सितम्बर 2026 तक अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े देखे जाएं तो जयपुर में करीब 3,90,423 मामले लंबित हैं, वहीं जोधपुर में यह आंकड़ा गिरकर 2,92,523 ही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि लंबित मामलों की श्रेणी में जयपुर का पलड़ा भारी है और 57 प्रतिशत मामले जयपुर में लंबित हैं। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि जयपुर में जोधपुर के मुकाबले 98000 अधिक मामले लंबित हैं, इसलिए स्पष्ट है कि जयपुर में कार्यभार को देखते हुए अधिक जजों की जरूरत है। एसोसिएशन का कहना है कि यहां जजों की संख्या कम की गई तो लंबित मामलों की संख्या और बढ़ेगी, मामलों का निष्तारण कम होगा और खण्डपीठों का कार्य बढ़ेगा और साथ ही, न्याय मांगने आये याचिकाकर्ताओं का इंसाफ के लिए इंतज़ार भी बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज नियुक्त

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के लिए तीन जजों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में तीन जजों की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम ने इन जजों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी।

- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन जारी।

फिलहाल, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत 34 जज हैं। उच्चतम न्यायालय में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 38 है। इन तीन जजों के शपथ लेने के बाद उच्चतम न्यायालय में जजों की कुल संख्या 37 हो जाएगी।